एच0सी0अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी–परिपत्र–10/2020

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय,गोमतीनगर विस्तार
लखनऊ।

दिनांक : लखनऊः मार्च 18, 2020

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रायः देखा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाने वाले अपराधों में सही धाराओं का अंकन नही किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप अभियोग के विचारण के दौरान अभियुक्त को इस त्रुटि का लाभ मिलने की संभावना रहती है।

यदि प्रवेशन लैंगिक हमला (penetrative sexual assault) में पीड़ित/पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम किन्तु 12 वर्ष से अधिक हो तो धारा 3 व 4(2) के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया जाना चाहिए। यदि पीडित/पीड़िता की आयु 12 वर्ष से कम है तो गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला(Aggravated penetrative sexual assault) के अन्तर्गत आता है, जिसमें पॉक्सो एक्ट धारा 5(ड) व 6 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया जाना चाहिए।

अभियोग के पंजीकरण के दौरान यदि पीड़ित/पीड़िता के उम्र के सम्बन्ध में कोई संशय/विरोधाभाष हो तो केवल चिकित्सीय परीक्षण को ही आधार न मानते हुए अन्य विधि संगत अभिलेखों को भी आधार मानते हुए कार्यवाही की जाए। पूर्व में बच्चो के प्रति घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु मुख्यालय स्तर से भी निर्देश निर्गत किये गये है, जो पार्श्वांकित पर अंकित है।

डीजी परिपत्र संख्याः-03/2013	दिनांक 17.1.2013
डीजी परिपत्र संख्याः 16/2013	दिनांक 29.4.2013
डीजी परिपत्र संख्याः 19/2013	दिनांक 06.5.2013
डीजी परिपत्र संख्याः 62/2013	दिनांक 14.11.2013
डीजी परिपत्र संख्याः 45/2015	दिनांक 15.6.2015
डीजी परिपत्र संख्याः 20/2016	दिनांक 13.4.2016
डीजी परिपत्र संख्याः 49/2016	दिनांक 12.8.2016
डीजी परिपत्र संख्याः 16/2018	दिनांक 21.4.2018
डीजी परिपत्र संख्याः 35/2018	दिनांक 05.7.2018
डीजी परिपत्र संख्याः 23/2019	दिनांक 19.6.2019

बच्चो के प्रति घटित होने वाले अपराधों पर अंकुश हेतु The Protection Of Children From Sexual Offences(Amendment)Act 2019 को संशोधित करते हुए सजा के कठोर प्राविधान किए गए है। साथ ही आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के माध्यम से भारतीय दण्ड विधान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम व दंड प्रक्रिया संहिता में भी संशोधन किया गया है। उपरोक्त संशोधनों का आपके द्वारा गहनता से परिशीलन किया जाना आवश्यक है। उक्त संशोधनों के मुख्य प्राविधान आपके मार्गदर्शन हेतु वर्णित किये जा रहे है:-

- पॉक्सो (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 4 -

पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में संशोधन कर इसे तीन उपधाराओं में वर्णित किया गया है

धारा 4(1):- मूल अधिनियम में वर्णित '' 07 वर्ष'' के के स्थान में ''10 वर्ष'' किया गया है।

धारा 4(2):- **जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के बच्चो के विरूद्ध प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास(नैसर्गिक जीवन पर्यन्त) तक की सजा एवं जुर्माने का प्राविधान किया गया है।**

धारा 4(3):- जुर्माना की राशि न्यायसंगत व युक्तियुक्त हो जो पीड़ित/पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुर्नवास हेतु दिया जायेगा।

- पॉक्सो (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 5 में संशोधन-

धारा 5 की उपधारा(ञ) में उपबन्धः

(i) में 'या' को विलोपित किया गया है।

(iii)में 'या' को विलोपित किया गया है।

(iv) "जिसके कारण बच्चे की मृत्यु कारित हो'', को जोड़ा गया है।

ज्ञातव्य हो कि मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (ड) में जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

- पॉक्सो (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 6:-

मूल अधिनियम की धारा 6 को संशोधित करके इसे 6(1) व 6(2) के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिये सजा का प्राविधान है।

धारा 6(1): जो कोई गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है उसे 20 वर्ष के कठोर करावास से लेकर आजीवन कारावास(नैसर्गिक जीवन पर्यन्त) या मृत्युदण्ड एंव जुर्माने का प्राविधान किया गया है।

धारा 6(2): धारा 6(1) के तहत लगाया गया जुर्माना की राशि न्यायसंगत व युक्तियुक्त होगी जो पीड़ित/पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुर्नवास हेतु दिया जायेगा।

<u>आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में दिए गए मुख्य प्राविधान निम्नवत है:-</u>

भारतीय दण्ड विधान में संशोधनः

- भा0द0वि0 की धारा 376 की उपधारा 1 में बलात्संग के लिए न्यूनतम कारावास को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
- भा0द0वि0 की धारा 376 में एक नई उपधारा (3) जोड़ी गई है, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्संग करने पर न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास(जीवन पर्यन्त) तक एवं जुर्माने से भी दण्डित किये जाने का प्राविधान है। जुर्माने की राशि न्यायसंगत व युक्तियुक्त होगी जो पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुर्नवास हेतु दिया जायेगा।
- भा0द0वि0 की धारा 376 AB में 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्संग करने पर न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास(जीवन पर्यन्त) एवं जुर्माने तथा मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान है। जुर्माने की राशि न्यायसंगत व युक्तियुक्त होगी जो पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुर्नवास हेतु दिया जायेगा।
- भा0द0वि0 की धारा 376 DA में 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ एक या अधिक व्यक्ति द्वारा समान आशय से सामूहिक बलात्संग करने पर उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास(जीवन पर्यन्त) एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। जुर्माने की राशि न्यायसंगत व युक्तियुक्त होगी जो पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुर्नवास हेतु दिया जायेगा।
- भा0द0वि0 की धारा 376 DB में 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ एक या अधिक व्यक्ति द्वारा समान आशय से सामूहिक बलात्संग करने पर उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास(जीवन पर्यन्त) एवं जुर्माने तथा मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान है। जुर्माने की राशि न्यायसंगत व युक्तियुक्त होगी जो पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुर्नवास हेतु दिया जायेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधनः

- पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी की तिथि से दो माह के भीतर दुष्कर्म मामलों से संबंधित विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कराकर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दिया जाए।

4. अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त तथ्यों का स्वंय गहनता से अध्ययन करे एवं अधीनस्थों को संज्ञानित कराते हुए The Protection Of Children From Sexual Offences(Amendment)Act 2019 एवं **आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018(छायाप्रति संलग्न) में निहित प्राविधानों का गहनता से परिशीलन कर प्रभावी अनुपालन कराना सुनिश्चित करे साथ यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसे अभियोगों के पंजीकरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो।**

भवदीय,

(एच0सी0अवस्थी) 10/30/20

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>प्रभारी जनपद/रेलवेज उत्तर प्रदेश।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित

1. अपर पुलिस महानिदेशक रेलवेज उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाये उ0प्र0
3. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
5. पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।